28/5/24

पत्रावली पेश हुई। [illegible] / वादी [illegible]
प्रार्थना अनुसार पत्रावली [illegible] जाती है [illegible]
प्रकरण के [illegible] बाबत [illegible] / [illegible]
[illegible] जाती है

पत्रावली [illegible] अनुसार होकर [illegible]
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान राधाकिशन बनाम रामगरोसी वगैरा

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 119/2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण को विवादित आराजी खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम बरौलीरान के स्थान पर रकबा 0.57 हैक्टेयर का तथा प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

आज दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.05.2024 .... को जारी की गई ।

दस्तखत—— 28/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर) राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. राधाकिशन पुत्र झब्बू (मृतक) जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

1/1. बाबूलाल पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

1/2. मुरारी पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

1/3. भीमसिंह पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. मनोहरी पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. हरदयाल पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

3/1. पंकज पुत्र हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

3/2. प्रीति पुत्री हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

3/3. गरिमा पुत्री हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

3/4. लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
5. एसबीआई बैंक नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

सहायक कर्मचारी 28/5/24
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 119/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00090
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28.05.24

1. राधाकिशन पुत्र झब्बू (मृतक) जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/1. बाबूलाल पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. मुरारी पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. भीमसिंह पुत्र राधाकृष्ण जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. मनोहरी पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. हरदयाल पुत्र खिलाडी उर्फ रामखिलाडी जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   3/1. पंकज पुत्र हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. प्रीति पुत्री हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   3/3. गरिमा पुत्री हरदयाल नाबालिग वली माता लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
   3/4. लक्ष्मी बेवा हरदयाल जाति मीना निवासी बरौलीरान तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
5. एसबीआई बैंक नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

82 28/5/24

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित श्री फूलसिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री बृजेश शर्मा (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं।
2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की विवादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा मुताबिक हाल गत खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल अनुसार निम्न प्रकार है–

वादी की खातेदारी–	हाल ख0नं0 संवत 2060	संवत 2028	सं0 2028 से पूर्व
1–	1413/0.52	1205/2 बीघा1 वि	847/3बी5 बि.
प्रतिवादीगण की खातेदारी–	1414/0.37	1206/1बी.9 बि.	847/2 बी. 5बि.

इस संबंध में नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश है। उक्त आराजी वाकेग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है।

3. यह कि वादी संवत 2028 के सेटलमेंट से पूर्व साबिक आराजी खसरा नंबर 847 के 3 बीघा 10 बिस्वा के तथा प्रतिवादीगण संख्या 1लगा 3 के पिता खिलाडी साबिक खसरा नंबर 847 के 2 बीघा के पृथक पृथक खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे लेकिन भूप्रबंधक विभाग ने नए खसरा नंबर निर्मित कर वादी का 5 बिस्वा रकबा कम करके खसरा नंबर 1205 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा निर्मित कर दिया जिसका हाल आराजी खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर है। तथा वादी की उक्त खातेदारी की आराजी का 5 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण के नए निर्मित खसरा नबर 1206 में जोडकर 1 बीघा 9 बिस्वा दर्ज कर दिया जिसका हाल आराजी खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर है जबकि वादी मौके पर पूर्व इन्द्राजात के रकबा के मुताबिक काबिज है इस प्रकार भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 को पूर्व इन्द्राजात के विपरीत वादी की खातेदारी के रकबा 5 बिस्वा को घटाकर प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी के रकबा में जोडने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था लिहाजा वादी संवत 2028 से पूर्व रकबा के इन्द्राजात के मुताबिक आनुपातिक रूप से अपने हाल खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.57 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा 3 को अपने साबिक इन्द्राजात के अनुसार अपने हाल खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 हैक्टेयर दर्ज किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात रकबा कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

28/5/24

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि वादी अपनी खातेदारी के रकबा पर साबिक नाप के मुताबिक काबिज काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण के नाम पूर्व इन्द्राजात के विपरीत वादी के 5 बिस्वा के अधिक इन्द्राजात होने के कारण वे वादी को उक्त रकबा से बेदखल करना चाहते हैं तथा डोर मेड तोडकर कब्जा करना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.07.14 को बेदखल करने की धमकी दी गई उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। अंत में वादी ने प्रार्थी की कि विवादित आराजी खसरा नंबर वाके ग्राम बरौलीरान के हाल खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर के स्थान पर पूर्व साबिक इन्द्राजात मुताबिक वादी को दुरूस्ती इन्द्राजात कर उक्त खसरा नंबर 1413 रकबा 0.57 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष इन्द्राजात प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 हैक्टेयर के इन्द्राजात दर्ज किया जावे, वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जावे।

5. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 की ओर से श्री बृजेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए । शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि चरण संख्या 1 वादपत्र स्वीकार है।
2. यह कि चरण संख्या 2 वादपत्र में अराजी मुतनाजा वाके ग्राम बरौलीरान स्थित होना स्वीकार है एवं अन्य कथन अस्वीकार हैं।
3. यह कि चरण संख्या 3 वादपत्र वादी जिस प्रकार से तह की गई है वह गलत होने के कारण अस्वीकार है। बंदोबस्त संवत 2028 में सम्पन्न हुआ था। उसके पश्चात से ही प्रतिवादीगण खातेदारी हैसियत से काश्त करते चले आ रहे हैं। 43 साल की एक लम्बी अवधि गुजर जाने के पश्चात अब वादपत्र वादी द्वारा पेश किया गया है जो अवधि बाहर है। अतः जबाव दावा स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाए।

6. वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वाके ग्राम बरौलीरान के हाल खसरा नंबर 1413 [illegible] 2 हैक्टेयर के स्थान पर पूर्व साबिक इन्द्राजात के आधार पर [illegible] दुरुस्ती इन्द्राजात करा कर खसरा नंबर [illegible] काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

23/5/24

Scanned with OKEN Scanner

किया जावे। शेष इन्द्राजात प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 दर्ज किया जावे।

—जिम्मेवादी

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

3. आया प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वहैसियत खातेदार एक लम्बे अंतराल से काबिज है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वाद वादी अवधि बाहर होने के कारण काबिल खारिजी के है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण

7. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2069 से 72 वाके ग्राम बरौलीरान, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम बरौलीरान, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम बरौलीरान, नकल भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 वाके ग्राम बरौलीरान, नकल जमाबंदी खेवट संवत 2028 वाके ग्राम बरौलीरान, नकल जमाबंदी संवत 2012–16 वाके ग्राम बरौलीरान एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में भीमसिंह पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी बरौलीरान के शपथ पत्र पेश किए गए जो शामिल पत्रावली है।

8. प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज एवं साक्ष्य के रूप में किसी भी प्रकार का मौखिक व साक्ष्य पेश नहीं किए गए है।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है—

1. आया विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वाके ग्राम बरौलीरान के हाल खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर के स्थान पर पूर्व साबिक इन्द्राजात के आधार पर वादी को दुरूस्ती इन्द्राजात करा कर खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शेष इन्द्राजात प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 दर्ज किया जावे।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2069 से 72 पेश किए गए जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर पर वादी रामकिशन पुत्र झब्बू जाति मीना दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर पर प्रतिवादी राममरोसी, मनी[illegible] दयाल पुत्र रामखिलाडी दर्ज रिकार्ड है जोकि प्रदर्श [illegible] से [illegible] है [illegible] नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 के खसरा नंबर 1205 रकबा 2 [illegible] 1 बिस्वा व संवत 2028 से पूर्व का खसरा नंबर 847 रकबा 3 बीघा [illegible] बिस्वा है इसी प्रकार प्रतिवादी के हाल खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 के संवत 2028 के खसरा नंबर

28/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

1206 1 बीघा 9 बिस्वा तथा संवत 2028 से पूर्व खसरा नंबर 847 2 बीघा 5 बिस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल हाल एवं गत खसरा नंबरान का मिलान होता है। इस प्रकार वादी संवत 2028 के सैटलमेंट से पूर्व साविक खसरा नंबर 847 के 3 बीघा 10 बिस्वा के तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के पिता खिलाडी साविक खसरा नंबर 847 के 2 बीघा के पृथक पृथक खातेदारी काश्तकारी दर्ज रिकार्ड थे। भूप्रबंधक विभाग द्वारा नए खसरा नंबर निर्मित कर वादी का 5 बिस्वा रकबा कम करके खसरा नंबर 1205 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा निर्मित कर दिया जिसका हाल आराजी खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर है। तथा वादी की खातेदारी का रकबा 5 बिस्वा प्रतिवादी के नए निर्मित खसरा नंबर 1206 में जोडकर 1 बीघा 9 बिस्वा दर्ज कर दिया जिसका हाल आराजी खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर है जोकि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2028 से पूर्व एवं बाद की जमाबंदियों में अंकन होने से स्पष्ट साबित होता है। इस प्रकार भूप्रबंधक विभाग द्वारा संवत 2028 को पूर्व इन्द्राजात के विपरीत वादी की खातेदारी के रकबा 5 बिस्वा को घटाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी के रकबा में जोड दिया गया जो बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से अंकित किया गया है। इस प्रकार वादी संवत 2028 से पूर्व रकबा के इन्द्राजात मुताबिक हाल खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.57 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में गवाहान भीमसिंह पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी बरौलीरान पेश किया गया जो कि वादी के वादपत्र को समर्थन करता है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए गए अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साविक दस्तावेजी रिकार्ड से तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार सिद्ध किया जा चुका है। अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

3. आया प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वहैसियत खातेदार एक लम्बे अंतराल से काबिज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य एवं खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण वाहैसियत खातेदार काबिज काश्त है अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

28/5/25

Scanned with OKEN Scanner

4. आया वाद वादी अवधि बाहर होने के कारण काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण उक्त तनकी के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कर पाए अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र काबिल डिक्री उचित है अतः आदेश है कि वादीगण को विवादित आराजी खसरा नंबर 1413 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम बरौलीरान के स्थान पर रकबा 0.57 हैक्टेयर का तथा प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 1414 रकबा 0.37 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.32 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

28/05/24
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner